

अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने विधान परिषद में दी जानकारी

32 जिलों के 100 प्रखंडों में खुलेंगे सामुदायिक करियर विकास केंद्र

पटना, हिन्दुस्तान न्यूरो। राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र खोले जाएंगे। इसका संचालन जीविका दीदी करेंगी। लाइब्रेरी संचालन करने वाली जीविका दीदी को छह हजार रुपए मानदेय मिलेंगे। सर्वेश कुमार व निचेडीत सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री अश्वयुक्त कुमार ने विधान परिषद में यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में संकुल स्तर पर सामुदायिक पुस्तकालय सह करियर विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहा कि क्या लाइब्रेरियन की नियुक्ति पुस्तकालय के संचालन के लिए नहीं की जा सकती। इस पर मंत्री ने कहा कि

- संचालन करने की जिम्मेदारी जीविका दीदियों की होगी
- लाइब्रेरियन का चयन जीविका समूह से ही किसी का किया जाएगा
- मैट्रिक पास होने पर ही लाइब्रेरी की देखभाल के लिए रखा जाएगा

जीविका समूह से अगर कोई लाइब्रेरियन जुड़ी होगी तो उनका चयन किया जा सकता है। लेकिन उनको मानदेय मात्र छह हजार ही मिलेंगे। मानदेय कम होने के कारण ट्रेड अभ्यर्थी इस पुस्तकालय में नहीं आना चाहती हैं। इसलिए मैट्रिक

अगले वित्तीय वर्ष में बन जाएंगे सभी पंचायत सरकार भवन

पटना। वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संबन्धित विधान परिषद में डॉ. समीर कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में पंचायती राज मंत्री मुन्शी प्रसन्न गौतम ने सदन में यह जानकारी दी। शिप में इस सवाल के पूरक प्रश्न में दिल्लीय जायसवाल ने कहा कि सरकार जब तक पंचायत सरकार भवन बना लेगी। वही ऐसा न हो कि जब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो, तब तक पंचायती राज व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2300 पंचायतों

में पंचायत सरकार भवन हो जाएंगे। बाकी पंचायतों में अगले वित्तीय वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार पंचायत मुख्यालय में ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। सरकारी जमीन नहीं होने पर फिर पंचायत के दूसरे गांवों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। इसी नियम के तहत पूरे राज्य में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रश्नकर्ता के पूरक प्रश्न पर कहा कि अगर टानदाला जमीन देने के लिए तैयार है तो सरकार को उस गांव में पंचायत सरकार भवन बनाने में कोई परेशानी नहीं है।

पास वाले को ही लाइब्रेरी की देखभाल के लिए रखा जाएगा। विनोद कुमार जायसवाल के तार्यकित प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सामान्य जिलों में सरियों को मकान बनाने पर एक लाख 20 हजार जर्बिक नकसल

प्रभावित जिलों में एक लाख 30 हजार दिए जाते हैं। 2011 की जनगणना की प्रतीक्षा सूची के अनुसार बीपीएल परिवार के मकान बन रहे हैं। नियमानुसार परिवार में किसी एक सदस्य के नाम पर ही मकान बनाए जाते हैं।